NEXT IAS

भारत की राजव्यवस्था

(भाग-1)

सिविल सेवा परीक्षा 2025

MADE EASY PUBLICATIONS

द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

भारत की राजव्यवस्था (भाग-1)

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024

भारत की राजव्यवस्था
(भाग-1)

इकाई – I: भारत का संविधान

इकाई – II: विधायिका

इकाई – III: कार्यपालिका

इकाई – IV: न्यायपालिका

विषयसूची

भारत की राजव्यवस्था (भाग-1)

इकाई – I: भारत का संविधान

अध्याय 1

भारतीय संविधान का क्रमिक विकास
(Evolution of Indian Constitution).....2

1.1 परिचय (Introduction).....2

1.1.1 अरस्तू के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण (Aristotle's Classification of Constitutions).....2

1.1.2 संविधान का महत्त्व (Significance of the Constitution).....2

1.2 संविधानों का वर्गीकरण (Classification of Constitutions) 3

1.2.1 संहिताबद्ध संविधान (Codified Constitution) .3

1.2.2 असंहिताबद्ध संविधान (Uncodified Constitution).....3

1.3 ब्रिटिश काल के दौरान संवैधानिक विकास (Constitutional Development during British Era).....3

1.3.1 कंपनी शासन (Company Rule) (1772-1858).....4

1.3.2 ब्रिटिश ताज/राजशाही का शासन (The Crown Rule) (1858-1947).....6

अध्याय 2

संविधान का निर्माण (Making of the Constitution).....16

2.1 परिचय (Introduction).....16

2.2 भारतीय संविधान का विकास (Evolution of The Indian Constitution).....16

2.3 संविधान सभा तक की यात्रा (Journey to Constituent Assembly).....17

2.3.1 क्रिप्स मिशन (Cripps Mission).....17

2.3.2 कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan).....17

2.3.3 एटली की घोषणा (Attlee's Declaration) ...18

2.3.4 3 जून योजना (माउंटबेटन योजना) (3rd June Plan).....18

2.4 संविधान सभा की संरचना / संघटन (Composition of Constituent Assembly).....19

2.5 संविधान सभा की कार्यप्रणाली (Working of Constituent Assembly).....20

2.5.1 संविधान सभा की कार्यप्रणाली के चरण (Stages in Working of Constituent Assembly).....20

2.5.2 उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution).....20

2.5.3 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किये गए परिवर्तन (Changes Made by the Indian Independence Act of 1947).....21

2.6 संविधान सभा की समितियाँ (Committees of the Constituent Assembly).....22

2.6.1 कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति (Experts Committee of the Congress)..22

2.6.2 प्रमुख/बड़ी समितियाँ (Major Committees)..22

2.6.3 छोटी समितियाँ (Minor Committees).....22

2.7 प्रारूप समिति (Drafting Committee).....23

2.8 कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य (Some Important Facts).....23

2.9 संविधान का अधिनियमन और प्रवर्तन (Enactment and Enforcement of Constitution).....23

2.10 संविधान का हिंदी पाठ (Hindi Text of the Constitution).....24

2.11 संविधान सभा की आलोचना (Criticism of Constituent Assembly).....24

अध्याय 3

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
(Salient Features of Indian Constitution) 25

3.1 परिचय (Introduction) 25

3.2 एकल नागरिकता (Single Citizenship).....25

3.3 न्यायसंगत और गैर-न्यायिक अधिकारों का समावेश (Inclusion of Justiciable and Non-Justiciable Rights).....26

3.4 संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति (Secular Nature of the Constitution).....26

3.5 स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका (Independent and Integrated Judiciary) 26

3.6 सरकार का संसदीय स्वरूप (Parliamentary form of Government).....27

3.7 संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय (Synthesis of Parliamentary Sovereignty and Judicial Supremacy).....27

3.8 आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions).....27

3.9 सबसे लंबा लिखित संविधान (Lengthiest Written Constitution) 28

3.10 संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution).....28

3.11 शक्ति का पृथक्करण (Separation of Power)..... 28
3.12 त्रिस्तरीय शासन प्रणाली (Three Tier Government)..... 29
3.13 अर्ध-संघीय संरचना (Quasi-Federal Structure) 29
3.14 लचीलापन और कठोरता (Flexibility and Rigidity)..... 29
3.15 विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान (Detailed Administrative Provisions)..... 30
3.16 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान (Special Provisions for Certain States)..... 30
3.17 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) 30
3.18 विभिन्न स्रोतों से लिया गया (Drawn from Various Sources) 30
3.19 सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) 31
3.20 स्वतंत्र निकाय (Independent Bodies)..... 31

अध्याय 4

संविधानों की तुलना (Comparison of Constitutions)..... 34
4.1 परिचय (Introduction) 34
4.2 अन्य संविधानों की मुख्य विशेषताएँ 34
4.2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) 34
4.2.2 यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom - UK) 35
4.2.3 फ्रांस (France)..... 37
4.2.4 रूस (Russia) 38
4.2.5 जर्मनी (Germany)..... 39
4.2.6 जापान (Japan) 40
4.2.7 चीन (China) 41
4.2.8 दक्षिण अफ्रीका (South Africa) 42
4.2.9 आयरलैंड (Ireland) 42
4.3 भारतीय संविधान और अन्य संविधान: एक तुलना..... 43
4.4 भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली: एक तुलनात्मक विश्लेषण (Working of Indian Constitution: A Comparative Analysis)..... 45
4.4.1 भारतीय संविधान: संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय (Indian Constitution: A Synthesis of Parliamentary Sovereignty and Judicial Supremacy) 45
4.4.2 संविधान का पाठ-प्रस्तावना (Text of the Constitution-Preamble)..... 45
4.5 संविधान सभाओं का कार्य: एक तुलना (Working of Constituent Assemblies: A Comparison)..... 46
4.5.1 भारत (India) 46
4.5.2 अन्य देश (Other Countries)..... 46
4.6 दक्षिण एशियाई संविधान: एक तुलना (South Asian Constitutions: A Comparison)..... 46
4.7 सार्क देशों में अद्वितीय संवैधानिक प्रावधान (Unique Constitutional Provisions in SAARC Countries)..... 48
4.7.1 नेपाल (Nepal) 48
4.7.2 मालदीव (Maldives) 48
4.7.3 भूटान (Bhutan)..... 49
4.7.4 पाकिस्तान (Pakistan)..... 49
4.7.5 श्रीलंका (Sri Lanka) 49
4.7.6 बांग्लादेश (Bangladesh)..... 49
4.8 निष्कर्ष (Conclusion) 49

अध्याय 5

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble to the Constitution of India)..... 50
5.1 परिचय (Introduction) 50
5.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 50
5.2.1 उद्देश्य प्रस्ताव का महत्त्व (Significance of Objectives Resolution)..... 50
5.2.2 प्रस्तावना की आवश्यकता (Need for Preamble) 51
5.3 प्रस्तावना (Preamble) 51
5.4 संविधान में प्रस्तावना का महत्त्व (Significance of the Preamble in Constitution)..... 54
5.5 प्रस्तावना का संशोधन (Amendment of the Preamble).. 54
5.6 प्रस्तावना के साथ जुड़े वाद/विवाद (Issues Associated with Preamble) 55
5.6.1 प्रस्तावना: संविधान का भाग है (Preamble: A Part of the Constitution)..55
5.6.2 बेरूबाड़ी संघ वाद (1960) [Berubari Union Case (1960)] 55
5.6.3 केशवानंद भारती वाद (1973) [(Kesavananda Bharati Case (1973)] .55
5.7 प्रस्तावना में समाजवादी शब्द शामिल करने के संदर्भ में बहस का विश्लेषण (Analysis of Debate on Inclusion of 'Socialist' word in Preamble)..... 55
5.7.1 संवैधानिक बहस (Constitutional Debates) 56
5.7.2 विपक्ष में तर्क (Arguments Against).....56
5.7.3 पक्ष में तर्क (Arguments For).....56
5.8 प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को शामिल करने पर बहस का विश्लेषण (Analysis of Debate on Inclusion of 'Secular' word in Preamble)..... 56
5.9 निष्कर्ष (Conclusion) 57

अध्याय 6

संघ और उसके क्षेत्र (Union and its Territory)..... 58
6.1 परिचय (Introduction)..... 58
6.2 अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र (Article 1: Name and Territory of the Union)..... 58
6.2.1 डॉ. बी.आर. अंबेडकर का मत (Dr. B.R. Ambedkar's Opinion)..... 58
6.3 अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Article 2: Admission or Establishment of New States)..... 59
6.4 राज्यों का पुनर्गठन (Reorganization of States)..... 59
6.4.1 राज्य पुनर्गठन समितियाँ (State Reorganization Committees)..... 59
6.4.2 राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganization Act, 1956)..... 60
6.5 अनुच्छेद 3: मौजूदा राज्यों के लिए प्रावधान (Article 3: Provision for Existing States)..... 61
6.6 अनुच्छेद 4: राज्यों से संबंधित अन्य मामले (Article 4: Other Matters Related to States)..... 62
6.7 भारतीय राज्यों के गठन की पृष्ठभूमि (Background of Formation of Indian States)..... 62
6.8 नए एवं छोटे राज्यों की माँग (Demand for New and Smaller States)..... 64
6.8.1 उत्तर प्रदेश का विभाजन (Division of Uttar Pradesh)..... 64
6.8.2 सौराष्ट्र या दक्षिणी गुजरात (Saurashtra or Southern Gujarat)..... 65
6.8.3 बोडोलैंड या उत्तरी असम (Bodoland or Northern Assam)..... 65
6.8.4 गोरखालैंड (उत्तर पश्चिम बंगाल) [Gorkhaland (Northern West Bengal)]..65
6.8.5 विदर्भ या पूर्वी महाराष्ट्र (Vidarbha or Eastern Maharashtra)..... 66
6.8.6 कोंगु नाडु या दक्षिणी तमिलनाडु (Kongu Nadu or Southern Tamil Nadu) 66
6.9 राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश: एक तुलना (State and Union Territory: A Comparison)..... 66
6.9.1 विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य (Special Category Status State)..... 67
6.9.2 बड़े राज्य एवं छोटे राज्य: एक तुलना (Big States and Small States: A Comparison)..... 67
6.10 दिल्ली: राज्य का दर्जा (Delhi: Statehood)..... 68
6.10.1 दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में तर्क (Arguments Favouring Statehood to Delhi)..... 68
6.10.2 दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के विरुद्ध तर्क (Arguments Against Full Statehood to Delhi)..... 68
6.11 कच्चाथीवू द्वीप का मुद्दा (Issue of Kachchatheevu Island)..... 69
6.12 चीन के साथ सीमा विवाद (Boundary Issue with China)..... 69
6.13 भारत की समुद्री सीमाओं का परिसीमन (Delimitation of India's Maritime Boundaries)..... 70
6.14 आगे की राह (Way Forward)..... 70

अध्याय 7

नागरिकता (Citizenship)..... 71
7.1 परिचय (Introduction)..... 71
7.2 भारत की नागरिकता: संवैधानिक प्रावधान (Citizenship of India: Constitutional Provisions)..... 72
7.3 नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)..... 73
7.3.1 नागरिकता का अर्जन (Acquisition of Citizenship)..... 73
7.3.2 नागरिकता का पर्यवसान या समाप्ति (Termination or Loss of Citizenship)..... 74
7.4 मुद्दे और बहस (Issues and Debates)..... 75
7.4.1 दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship)..... 75
7.4.2 ओसीआई, पीआईओ और एनआरआई (OCI, PIO and NRI)..... 75
7.4.3 हाल ही में हुए परिवर्तन (Recent Changes) 76
7.5 प्रवासियों की नागरिकता (Citizenship of Migrants)..... 76
7.6 नागरिकता संबंधी आँकड़ों का पंजीकरण (Registration of Citizenship Data)..... 77
7.6.1 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) [National Register of Citizens (NRC)]... 77
7.6.2 आधार (Aadhaar)..... 77
7.6.3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) [The National Population Register (NPR)]..... 78
7.6.4 पुर्तगाली नागरिकता (Portuguese Citizenship)..... 78
7.6.5 मोंटेइरो वाद (Monteiro Case)..... 78
7.7 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 [The Citizenship (Amendment) Act, 2019]..... 78

अध्याय 8

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)..... 80
8.1 परिचय (Introduction)..... 80
8.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Perspective)..... 80
8.3 अधिकारों के प्रकार (Types of Rights)..... 80
8.4 मानवाधिकार का अर्थ (Meaning of Human Rights)..... 81

8.5 मौलिक अधिकारों का अर्थ (Meaning of Fundamental Rights) 82
8.6 मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions on Fundamental Rights) .. 83
8.7 मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Fundamental Rights) 84
8.8 भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में मौलिक अधिकार: एक तुलना (Fundamental Rights in India, US and UK: A Comparison) 85
8.9 राज्य और कानून (State and Laws) 85
8.9.1 राज्य (State) 85
8.9.2 राज्य निर्धारण के लिए परीक्षण (Test for Determining State) 85
8.9.3 विधि (Laws) 86
8.10 मौलिक अधिकारों में संशोधन (Amendability of Fundamental Rights) 86
8.11 समता का अधिकार (Right to Equality) 88
8.11.1 विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण (Equality before Law and Equal Protection of Law) 88
8.12 भेदभाव का निषेध (Prohibition of Discrimination) 90
8.13 सार्वजनिक नियोजन में अवसरों की समानता (Equality of Opportunity in Public Employment) 91
8.14 अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability) 94
8.15 उपाधियों का अंत (Abolition of Titles) 95
8.16 स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) 96
8.16.1 अनुच्छेद 19 (1) (a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (a) Freedom of Speech and Expression) 97
8.16.2 अनुच्छेद 19 (1) (b) शांतिपूर्ण सम्मलेन की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (b) Freedom of Peaceful Assembly) 101
8.16.3 अनुच्छेद 19 (1) (c) समागम या संघ बनाने की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (c) Freedom of Association) 101
8.16.4 अनुच्छेद 19 (1) (d) अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (d) Freedom of Movement) 102
8.16.5 अनुच्छेद 19 (1) (e) निवास करने की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (e) Freedom of Residence) 102
8.16.6 अनुच्छेद 19 (1) (g) व्यवसाय की स्वतंत्रता (Article 19 (1) (g) Freedom of Profession) 102
8.17 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सरंक्षण (Protection from Conviction for Offences) 103
8.18 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार (Protection of Life and Personal Liberty) 104
8.19 शिक्षा का अधिकार (Right to Education) 106
8.20 नजरबंदी एवं गिरफ्तारी से संरक्षण (Protection Against Arbitrary Arrest and Detention) 107
8.21 शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) 109
8.21.1 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 (Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour, Article 23) 110
8.21.2 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, अनुच्छेद 24 (Prohibition of Employment of Children in Factories, Article 24) 110
8.22 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) 111
8.22.1 अंत:करण, मानने, आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता (Freedom of Conscience, Profession, Practice and Propagation) 111
8.22.2 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (Freedom to Manage Religious Affairs) 112
8.22.3 धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता (Freedom from Payment of Taxes for Promotion of Religion) 113
8.22.4 धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता (Freedom from Attending Religious Instructions) 113
8.23 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) 114
8.23.1 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण (Protection of Interests of Minorities) .. 114
8.23.2 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (Right to Establish and Administer Educational Institutions) 114
8.24 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) 115
8.25 अन्य प्रावधान (Other Provisions) 117
8.25.1 मौलिक अधिकार और सशस्त्र बल (Fundamental Rights and Armed Forces) 117
8.25.2 मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार (Fundamental Rights during Martial Law) 118
8.25.3 कुछ मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन (Implementation of Certain Fundamental Rights) 118

8.26 मूल अधिकारों के अपवाद (Exception to Fundamental Rights)..... 119
8.26.1 संपदा के अधिग्रहण आदि प्रदत्त करने वाले कानूनों की सुरक्षा (Saving of Laws Providing for Acquisition of Estates] etc.) 119
8.26.2 कुछ अधिनियमों और विनियमों की मान्यता (Validation of Certain Acts and Regulations).....119
8.26.3 कुछ नीति-निदेशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले सुरक्षा कानून (Saving Laws Giving Effect to Certain Directive Principles) 120
8.27 भाग III के अतिरिक्त उल्लिखित अन्य संवैधानिक अधिकार (Rights Outside Part III) 120
8.28 मूल अधिकारों की आलोचना (Criticism of Fundamental Rights)..... 120

अध्याय 9

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy) 122
9.1 परिचय (Introduction) 122
9.2 राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP)..... 123
9.3 संविधान के भाग IV के अतिरिक्त अन्य भागों में उल्लिखित निर्देश (Directives Outside Part IV of the Constitution)..... 127
9.4 निदेशक तत्त्व: आलोचनात्मक विश्लेषण (DPSP: A Critical Analysis)..... 127
9.4.1 उपयोगिता (Utility).....127
9.4.2 प्रवर्तनीयता (Enforceability).....128
9.4.3 आलोचना (Criticism) 128
9.5 मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व: संबंध (FR and DPSP: Relationship) 129
9.6 नीति निदेशक तत्त्वों से संबंधित समसामयिक मुद्दे (Current Issues Related to DPSP) 130
9.6.1 समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code).....130
9.6.2 प्राचीन स्मारकों का संरक्षण (Ancient Monuments Conservation) 131
9.6.3 बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016 [Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 2016] 131
9.6.4 मद्य निषेध (शराब बंदी) (Liquor Ban).....132
9.6.5 गौहत्या पर प्रतिबंध (Cow Slaughter Ban) 133

अध्याय 10

मूल कर्त्तव्य (Fundamental Duties).....135
10.1 परिचय (Introduction) 135
10.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)..... 135
10.3 मूल कर्त्तव्यों की आवश्यकता (Need for Fundamental Duties)..... 136
10.4 स्वर्ण सिंह समिति 136
10.5 मूल कर्त्तव्यों की विशेषताएँ (Features of Fundamental Duties)..... 136
10.6 मूल कर्त्तव्य एक नजर में (Fundamental Duties at a Glance) 137
10.7 मूल कर्त्तव्यों की आलोचना (Criticism of Fundamental Duties)..... 137
10.8 मूल अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व और मूल कर्त्तव्य: संबंध (Fundamental Rights, DPSP and Fundamental Duties: Relation)..... 137
10.8.1 मौलिक कर्त्तव्य और मौलिक अधिकार: संबंध (Fundamental Duties and Fundamental Rights: Relation).....138
10.8.2 मूल कर्त्तव्य और नीति-निदेशक तत्त्व: संबंध (Fundamental Duties and DPSP: Relation).....138
10.8.3 मौलिक कर्त्तव्य और प्रस्तावना: संबंध (Fundamental Duties and Preamble: Relation).....138
10.9 मुद्दों पर आधारित आलोचनात्मक विश्लेषण (Issue Based Critical Analysis) 139
10.9.1 संविधान और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संस्थाएँ (Constitution and National Flag, National Anthem and Institutions) 139
10.9.2 स्वाधीनता संग्राम के आदर्श (Ideals of Freedom Struggle).....139
10.9.3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता (Sovereignty, Unity & Integrity of India).....140
10.9.4 देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना (Defending the Country and Rendering National Service).....140
10.9.5 सद्भाव, भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना (Promoting Harmony, Brotherhood and Respecting Women's Dignity).....140
10.9.6 हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण (Preserving Rich Heritage of Our Composite Culture).....141
10.9.7 प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना (Protecting Natural Environment).....142
10.9.8 वैज्ञानिक प्रवृत्ति, जिज्ञासा और निरंतर सुधार की भावना का विकास करना (Developing Scientific Temper and Spirit of Inquisitiveness and Reform).....142
10.9.9 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना (Safeguarding Public Property and Abstain from Violence).....142

10.9.10 उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना (Striving towards Excellence)..... 143
10.9.11 बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (Providing Opportunities for Education to Children)..... 143
10.10 मौलिक कर्त्तव्य: हालिया मुद्दे (Fundamental Duties: Current Issues)..... 143
10.10.1 मतदान: एक मौलिक कर्त्तव्य (Voting: A Fundamental Duty)..... 143
10.10.2 कर भुगतान करने का कर्त्तव्य (Duty to Pay Tax)..... 145
10.11 NCRWC सिफारिशें (NCRWC Recommendations)... 146
10.12 "अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं" - न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ("Rights and Duties go Hand in Hand" - Justice J.S. Verma Committee, 1999)..... 146
10.13 आगे की राह (Way Forward)..... 146

अध्याय 11

संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution) .. 147
11.1 परिचय (Introduction)..... 147
11.2 संशोधन की प्रक्रिया और इसके प्रकार (Amending Process and It's Types)..... 147
11.2.1 साधारण बहुमत द्वारा (By Simple Majority)..... 147
11.2.2 विशेष बहुमत द्वारा (By Special Majority)..... 148
11.2.3 संसद के विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति द्वारा (By Special Majority of Parliament and Consent of States)..... 148
11.3 भारत में संशोधन प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Amendment Procedure in India)..... 149
11.4 संविधान की मूल संरचना और संशोधन बहस (Basic Structure of Constitution and Amendment Debate)..... 149
11.5 संशोधन प्रक्रिया की आलोचना (Criticism of Amendment Procedure)..... 151
11.6 निष्कर्ष (Conclusion)..... 151

इकाई – II: विधायिका

अध्याय 12

संसद (Parliament)..... 153
12.1 परिचय (Introduction)..... 153
12.2 भारतीय संसद का क्रमिक विकास या उद्विकास (Evolution of Indian Parliament)..... 153
12.3 संसद के सदन (Houses of Parliament)..... 154
12.3.1 लोकसभा (Lok Sabha)..... 154
12.3.2 राज्यसभा (Rajya Sabha)..... 155
12.3.3 लोकसभा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग न करने के कारण (Reasons for not using Proportional Representation System for Lok Sabha Elections)..... 156
12.3.4 संसद में प्रयुक्त भाषा (Language Used in Parliament)..... 157
12.4 राष्ट्रपति: संसद का एक अंग (President: A Part of Parliament)..... 157
12.5 संसद के पदाधिकारी (Office Bearers of Parliament).. 158
12.5.1 लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)..... 158
12.5.2 लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)..... 159
12.5.3 लोकसभा के अध्यक्षों का पैनल (तालिका) (Panel of speakers of Lok Sabha)..... 159
12.5.4 राज्यसभा के सभापति (Chairman of Rajya Sabha)..... 159
12.5.5 राज्यसभा के उप-सभापति (Deputy Chairman of Rajya Sabha)..... 160
12.5.6 राज्यसभा के उप-सभापतियों का पैनल (Panel of Vice Chairpersons of Rajya Sabha)..... 160
12.6 संसद में नेता (Leaders in Parliament)..... 160
12.6.1 सदन का नेता (Leader of House)..... 160
12.6.2 नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition)..... 160
12.6.3 सचेतक (Whip)..... 161
12.6.4 सचेतक, दल-बदल विरोधी कानून और विधायी स्वतंत्रता (Whip, Anti-Defection Law and Legislative Independence)..... 161
12.7 संसद की सदस्यता (Membership of Parliament)..... 161
12.7.1 अर्हताएँ (Qualifications)..... 161
12.7.2 निरर्हताएँ/सीटों का रिक्त होना (Disqualifications/Vacation of Seats).. 162
12.7.3 सदस्यों की शपथ/प्रतिज्ञान (Oath/Affirmation of Members)..... 163
12.7.4 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते (Salaries and Allowances of Members)..... 164
12.8 संसदीय कार्यवाही (Parliamentary Proceedings)..... 164
12.8.1 सत्र (Sessions)..... 164
12.8.2 विघटन (Dissolution)..... 165

12.8.3 संसदीय कार्यवाही के उपकरण (Devices of Parliamentary Proceedings) 166

12.9 विधायी प्रक्रिया (Legislative Procedure) 169

12.9.1 सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य विधेयक: एक तुलना (Public and Private Member Bill: A Comparison) 169

12.9.2 विधेयकों का वर्गीकरण (Classification of Bills) 169

12.10 संसद में बजट (Budget in Parliament) 173

12.10.1 वित्त पर संसदीय नियंत्रण (Parliamentary Control Over Finance) 173

12.10.2 बजट (Budget) 173

12.10.3 सामान्य बजट और रेल बजट: पृथक्करण और एकीकरण (General Budget and Railway Budget: Separation and Unification) .. 174

12.10.4 बजट: संवैधानिक प्रावधान (Budget: Constitutional Provision) 174

12.10.5 भारित व्यय (Charged Expenditure) 174

12.10.6 बजट के अधिनियमन के चरण (Stages in Enactment of Budget) 174

12.10.7 अन्य प्रकार के अनुदान (Other Types of Grants) 177

12.11 संसद की बहुकार्यात्मक भूमिका (Multi-Functional Role of Parliament) 177

12.11.1 विधायी शक्तियाँ एवं कार्य (Legislative Powers and Functions) ... 177

12.11.2 कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य (Executive Powers and Functions) 178

12.11.3 वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य (Financial Powers and Functions) 178

12.11.4 सांविधिक शक्तियाँ एवं कार्य (Constituent Powers and Functions) .. 179

12.11.5 न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य (Judicial Powers and Functions) 179

12.11.6 चुनावी शक्तियाँ एवं कार्य (Electoral Powers and Functions) 179

12.11.7 अन्य शक्तियाँ एवं कार्य (Other Powers and Functions) 179

12.12 संसदीय नियंत्रण की अप्रभाविता (Ineffectiveness of Parliamentary Control) 179

12.13 संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) 180

12.13.1 व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Individual Privilege) 180

12.13.2 सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privileges) 180

12.13.3 संसदीय विशेषाधिकारों का संहिताकरण (Codification of Parliamentary Privileges) 181

12.13.4 विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना (Breach of Privilege and Contempt of House) 181

12.14 भारतीय संसद की संप्रभुता (Sovereignty of Indian Parliament) 182

12.15 संसद की अब तक की कार्यप्रणाली (Working of Parliament So Far) 182

12.16 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए संसद में सीटों का आवंटन (Allocation of Seats in Parliament for States and Union Territories) 183

12.17 लोकसभा (2019) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें [Seats Reserved for SCs and STs in the Lok Sabha (2019)] 184

12.18 लोकसभा की अवधि (पहली लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक) [Durations of the Lok Sabha (From First Lok Sabha to Present Lok Sabha)] 185

12.19 लोकसभा अध्यक्ष (पहली लोकसभा से वर्तमान लोकसभा तक) (Speakers of the Lok Sabha (From First Lok Sabha to Present Lok Sabha)) 185

अध्याय 13

संसदीय समितियाँ (Parliamentary Committees) 186

13.1 परिचय (Introduction) 186

13.2 समितियों की आवश्यकता (Need for Committees) 186

13.3 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) 187

13.4 संसदीय समितियों के प्रकार (Types of Parliamentary Committees) 187

13.4.1 स्थायी समितियाँ (Standing Committees) 187

13.4.2 तदर्थ समितियाँ (Ad-hoc Committees) 188

13.4.3 संयुक्त समितियाँ और प्रवर समितियाँ (Joint Committees and Select Committees) 188

13.5 महत्त्वपूर्ण समितियाँ एवं उनकी संरचना (Important Committees and their Composition) 189

13.5.1 लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) 189

13.5.2 प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) 190

13.5.3 सार्वजनिक उद्यम समिति (Committee on Public Undertakings) . 191

13.5.4 विभागीय स्थायी समितियाँ (Departmental Standing Committees) 191

13.6 जाँच समिति (Committee of Enquiry) 193

13.6.1 आचार समिति (Ethics Committee) 193

13.6.2 याचिका समिति (Committee on Petitions).....193
13.6.3 विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges).....193
13.7 जाँच एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति (Committee to Scrutinize and Control)..... 193
13.7.1 सरकारी आश्वासन समिति (Committee on Government Assurances).....193
13.7.2 अधीनस्थ विधायन समिति (Committee on Subordinate Legislation) 193
13.7.3 विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति (Committee on Papers Laid on the Table).....194
13.7.4 अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण समिति (Committee on Welfare of SCs and STs).....194
13.7.5 महिला सशक्तीकरण समिति (Committee on Empowerment of Women).....194
13.7.6 लाभ के पदों के लिए गठित संयुक्त समिति (Joint Committee on Offices of Profit) 194
13.8 सदन के दैनंदिन कार्य से संबंधित समिति (Committee Related to Day to Day Business of the House)..... 194
13.8.1 कार्य सलाहकार समिति (Business Advisory Committee).....194
13.8.2 निजी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिए समिति (Committee on Private Members Bills and Resolutions).....194
13.8.3 समिति के कार्य (Functions of the Committee).....195
13.8.4 विनियम समिति (Rules Committee).....195
13.8.5 सदस्यों की अनुपस्थिति के लिए गठित समिति (Committee on Absence of Members)195
13.9 सदन समितियाँ (House-Keeping Committees) 195
13.9.1 सामान्य प्रयोजन समिति (General Purposes Committee).....195
13.9.2 सदन समिति (House Committee).....195
13.9.3 पुस्तकालय समिति (Library Committee)...195
13.9.4 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते के लिए गठित संयुक्त समिति (Joint Committee on Salaries and Allowances of Members).....195
13.10 परामर्शदात्री समितियाँ (Consultative Committees)..... 195
13.11 संसदीय समितियाँ: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Parliamentary Committees: A Critical Analysis).... 196
13.11.1 खराब प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार कारक (Factors Responsible for Poor Effectiveness) 196
13.11.2 समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु सुझाव (Suggestions to improve Functioning of Committees).....197
13.12 निष्कर्ष (Conclusion)..... 197

अध्याय 14

राज्य विधायिका (State Legislature).....198
14.1 प्रस्तावना (Introduction)..... 198
14.2 द्विसदनीय और एकसदनीय विधानमंडल (Bicameral and Unicameral Legislatures) 199
14.3 विधानसभा (Legislative Assembly)..... 199
14.3.1 विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of Legislative Assembly).....200
14.3.2 उपाध्यक्ष (Deputy Speaker).....200
14.4 विधान परिषद् का सृजन एवं उत्सादन (Creation and Abolition of Legislative Council)..... 201
14.5 विधान परिषद् (Legislative Council)..... 201
14.5.1 विधान परिषद् का संघटन (Composition of the Vidhan Parishad).....201
14.5.2 विधान परिषद् की अवधि (Duration of Legislative Council).....202
14.5.3 विधान परिषद् के सभापति (Chairman of Legislative Council).....202
14.5.4 उप-सभापति (Deputy Chairman).....202
14.6 सदस्यता के लिए अर्हताएँ (Qualification for Membership) 202
14.7 निरर्हताएँ (Disqualifications) 203
14.8 राज्य विधानमंडल के सत्र (Sessions of State Legislature) 203
14.9 राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions of State Legislature) 204
14.9.1 विधि निर्माण कार्य (Law Making Function).....204
14.9.2 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) 204
14.9.3 कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over the Executive).....204
14.9.4 निर्वाचन कार्य (Electoral Functions) 205
14.9.5 संवैधानिक कार्य (Constitutional Functions) 205
14.10 राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की तुलना (Comparison of Two Houses of State Legislature) . 205
14.10.1 साधारण विधेयक (Ordinary Bills).....205
14.10.2 धन विधेयक (Money Bill) 206
14.10.3 कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over the Executive).....206
14.10.4 निर्वाचन कार्य (Electoral Functions) 206

14.11 विधान-परिषद्: एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण (Legislative Council: A Critical Analysis)..... 208
14.11.1 द्वितीयक (निम्न) स्थिति के कारण (Reasons for Inferior Position).....208
14.11.2 विधान परिषद् की आलोचना (Criticism of Legislative Council).....208
14.11.3 विधान परिषद् का महत्त्व (Importance of Legislative Council) ...209
14.12 राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार (Privileges of State Legislature) 209
14.12.1 सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privileges) 209
14.12.2 व्यक्तिगत विशेषाधिकार (Individual Privileges).....209

अध्याय 15

संघ राज्यक्षेत्र (The Union Territories).....211
15.1 परिचय (Introduction) 211
15.2 संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन (Administration of Union Territories) 212
15.2.1 प्रशासक की भूमिका (Role of Administrator) 213
15.2.2 संघ राज्यक्षेत्र: एक पृथक् इकाई के रूप में (Union Territory: A Separate Entity)....213
15.2.3 संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित विषयों का मंत्रिस्तरीय आवंटन (Ministerial Allocation of Subjects Related to Union Territories) 213
15.3 संघ राज्यक्षेत्रों में विधानमंडल (Legislature of Union Territories)..... 213
15.3.1 संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers related to Union Territories).....213
15.3.2 अनुच्छेद 239 B: अध्यादेश (Article 239 B: Ordinance) 214
15.4 संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय (High Courts for Union Territories)..... 214
15.5 संघ राज्यक्षेत्रों की सलाहकार समितियाँ (Advisory Committees of Union Territories)..... 214
15.6 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provision for Delhi)..... 215
15.6.1 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा (Legislative Assembly of NCT).....215
15.6.2 राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers of NCT) 215
15.6.3 वर्चस्व के लिए संघर्ष: उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री (Struggle for Supremacy: Lt-Governor and Chief Minister).....215
15.6.4 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 2021 (Government of National Capital Territory of Delhi Act, 2021) 216
15.6.5 निष्कर्ष (Conclusion) 216
15.7 संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख (Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh)..... 216
15.7.1 पृष्ठभूमि (Background).....216
15.7.2 अनुच्छेद 370 – उपबंध एवं विशेषताएँ (Article 370 – Features and Provisions) 217
15.7.3 जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019) 217
15.7.4 निष्कर्ष (Conclusion) 219

इकाई – III: कार्यपालिका

अध्याय 16

राष्ट्रपति (President).....221
16.1 परिचय (Introduction) 221
16.1.1 संविधान सभा वाद-विवाद (Constituent Assembly Debate) 221
16.1.2 राष्ट्रपति पद का महत्त्व (Significance of Office of the President).....222
16.2 राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President)..... 222
16.3 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ (Qualifications for the President)..... 224
16.4 राष्ट्रपति पद की शपथ (Oath of Office of President).. 224
16.5 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें (Conditions for the Office of the President) 225
16.6 परिलब्धियाँ (Emoluments) 225
16.7 पदावधि (Term)..... 225
16.8 राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment of the President)..... 225
16.9 पद की रिक्तता (Vacancy in Office) 226
16.10 उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार (Immunities and Privileges)..... 227
16.11 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 227
16.11.1 कार्यकारी/प्रशासनिक शक्तियाँ (Executive/Administrative Powers).....227
16.11.2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers).....228
16.11.3 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers).....230
16.11.4 सैन्य शक्तियाँ (Military Powers) 231
16.11.5 कूटनीतिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers) .231
16.11.6 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) 231

16.11.7 आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers).....232
16.11.8 विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers).....232
16.12 ऐतिहासिक विश्लेषण (Historical Analysis)..... 234

अध्याय 17

उप-राष्ट्रपति (Vice–President).....235
17.1 परिचय (Introduction)..... 235
17.2 निर्वाचन (Election)..... 235
17.2.1 अर्हताएँ (Qualifications).....235
17.2.2 उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन: विवाद (Election of Vice-President: Disputes).....236
17.2.3 पदावधि (Term of Office) 236
17.2.4 पद रिक्तता (Vacancy in Office) 236
17.3 उप-राष्ट्रपति पद की शर्तें (Conditions of Office of the Vice-President)..... 237
17.4 परिलब्धियाँ (Emoluments)..... 237
17.5 कार्य और शक्तियाँ (Roles and Powers) 237
17.5.1 राष्ट्रपति के रूप में कर्त्तव्यों का निर्वहन (Discharge of Presidential Duties) 237
17.5.2 राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha) 237
17.6 भारत और अमेरिका के उप-राष्ट्रपति की तुलना (Indian and US Vice-President: A Comparison)..... 238
17.7 उप-राष्ट्रपति: आलोचनात्मक विश्लेषण (Vice-President: A Critical Analysis) 238

अध्याय 18

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् (Prime Minister and Council of Ministers).....240
18.1 प्रस्तावना (Introduction)..... 240
18.2 प्रधानमंत्री से संबंधित संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions Related to Prime Minister) 240
18.2.1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति (Appointment of Prime Minister).....241
18.2.2 शपथ, पदावधि और वेतन (Oath, Term and Salary).....242
18.3 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 243
18.3.1 मंत्रिपरिषद् के संबंध में (In Relation to Council of Ministers) ...243
18.3.2 राष्ट्रपति के संबंध में (In Relation to President).....244
18.3.3 महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Important Officials) ..244
18.3.4 संसद के संबंध में (In Relation to Parliament).....245
18.3.5 नियोजन में भूमिका (Role in Planning).....245
18.3.6 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भूमिका (Role in International Relations) 245
18.3.7 प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ और कार्य (Other Powers and Functions of Prime Minister) 246
18.4 प्रधानमंत्री: समितियों के प्रमुख (Prime Minister: Head of Committees) 246
18.5 प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office: PMO)... 247
18.5.1 प्रधानमंत्री की भूमिका (Role of Prime Minister).....247
18.5.2 प्रधानमंत्री कार्यालय का औचित्य (Rationale of PMO).....247
18.5.3 प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्भव (Evolution of PMO) 247
18.5.4 प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना (Composition of PMO).....247
18.5.5 प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य (Functions of PMO) 248
18.5.6 प्रधानमंत्री कार्यालय: एक समालोचनात्मक विश्लेषण (PMO: A Critical Analysis).....248
18.5.7 प्रधानमंत्री कार्यालय बनाम मंत्रिमंडलीय सचिवालय (PMO vis-a-vis Cabinet Secretariat) 249
18.6 केंद्रीय मंत्रिपरिषद् (Central Council of Ministers)..... 249
18.6.1 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions).....250
18.6.2 मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति (Nature of Advice by Council of Ministers) 251
18.6.3 मंत्रियों की नियुक्ति (Appointment of Ministers).....251
18.6.4 मंत्रियों के उत्तरदायित्व (Responsibility of Ministers) 251
18.6.5 मंत्रिपरिषद् की संरचना (Composition of Council of Minister) ..252
18.6.6 मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी (Dismissal of Council of Minister).....253
18.6.7 मंत्रिपरिषद् का आकार (Size of Council of Minister) 254
18.7 मंत्रिमंडल (Cabinet)..... 254
18.7.1 मंत्रिमंडल की भूमिका (Role of Cabinet) ..254
18.7.2 मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees).....255

18.7.3 मंत्रियों का समूह (Group of Ministers: GoM) और शक्ति संपन्न मंत्रियों का समूह (Empowered Group of Ministers: EGoM).....256
18.7.4 मंत्रिमंडलीय समिति: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Cabinet Committee: A Critical Analysis) 256
18.7.5 आंतरिक (किचन) कैबिनेट (Kitchen Cabinet).....257
18.8 मंत्रिपरिषद् की आलोचना (Criticism of Council of Ministers)..... 257
18.9 मंत्रिमंडलीय सचिवालय और केंद्रीय सचिवालय (Cabinet Secretariat and Central Secretariat)..... 258
18.9.1 मंत्रिमंडलीय सचिवालय (Cabinet Secretariat).....258
18.9.2 मंत्रिमंडलीय सचिव (Cabinet Secretary)..259
18.9.3 मंत्रिमंडलीय सचिवालय की कार्य-प्रणाली: एक समालोचनात्मक विश्लेषण (Working of Cabinet Secretariat: A Critical Analysis) 259
18.9.4 केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat)...260
18.9.5 मंत्रालयों/विभागों की संरचना (Structure of Ministries/Departments) 260
18.9.6 केंद्रीय सचिवालय के कार्य (Functions of Central Secretariat) 261

अध्याय 19

राज्यपाल (Governor).....262
19.1 परिचय (Introduction)..... 262
19.2 नियुक्ति, शर्तें, पदावधि और निष्कासन:.....262
19.2.1 नियुक्ति (Appointment) 262
19.2.2 उप-राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Lieutenant Governor) 263
19.2.3 राज्यपाल का पद धारण करने के लिए शर्तें (Conditions of Office of Governor) 263
19.2.4 पदावधि (Terms of Office).....263
19.2.5 राज्यपाल को हटाना (Removal of Governor).....263
19.3 संवैधानिक स्थिति (Constitutional Position)..... 264
19.4 राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ (Power and Functions of the Governor) 265
19.4.1 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers of the Governor)...265
19.4.2 विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers).....266
19.4.3 वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers) 266
19.4.4 न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers).....267
19.4.5 विवेकाधीन शक्तियाँ (Discretionary Powers).....267
19.5 राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियाँ (Immunities Enjoyed by the Governer)..... 268
19.6 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की शक्तियाँ: एक तुलनात्मक अध्ययन (Powers of President and Governor: A Comparison)..... 268
19.7 विभिन्न समितियों के सुझाव (Recommendations of Various Commissions)..... 271
19.7.1 सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission).....271
19.7.2 एस.आर. बोम्मई मामला (S.R. Bommai Case).....271
19.7.3 पुंछी आयोग (Punchhi Commission).....272
19.8 राज्यपाल से संबंधित हालिया मुद्दे (Recent Issues related with Office of Governor) 272

अध्याय 20

मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् (Chief Minister and Council of Ministers) 274
20.1 प्रस्तावना (Introduction)..... 274
20.1.1 नियुक्ति हेतु पात्रता (Eligibility for Appointment).....275
20.1.2 नियुक्ति (Appointment) 275
20.1.3 किसी भी सदन का सदस्य होना (Member of Either House).....275
20.1.4 निष्कासन (Removal) 275
20.1.5 शपथ, कार्यकाल और वेतन (Oath, Term and Salary).....276
20.2 शक्तियाँ और कार्य (Powers and Functions) 277
20.2.1 मंत्रिपरिषद् के संबंध में (In Relation to Council of Ministers) ...277
20.2.2 राज्य विधानमंडल के संबंध में (In Relation to State Legislature).....277
20.2.3 राज्यपाल के संबंध में (In Relation to the Governor).....278
20.3 राज्य मंत्रिपरिषद् (State Council of Ministers)..... 278
20.3.1 नियुक्ति (Appointment) 278
20.3.2 उत्तरदायित्व (Responsibility) 278
20.3.3 मंत्रियों द्वारा सलाह की प्रकृति (Nature of Advice by Ministers).....279
20.3.4 संघटन (Composition).....279
20.4 संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) 280
20.4.1 अर्थ (Meaning).....280
20.4.2 लाभ का पद (Office of Profit).....280

20.4.3 लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हताएँ (Disqualifications for Holding Office of Profit) 280
20.4.4 लाभ के पद नियम में छूट (Exemptions in Office of Profit Rule) ..280

अध्याय 21

स्थानीय स्वशासन (Local Self Government).....281
21.1 परिचय (Introduction) 281
21.2 स्थानीय स्वशासन का महत्त्व (Significance of Local Self Government) 281
21.3 पंचायती राज का मूल्यांकन (Evolution of Panchayati Raj) 282
21.3.1 ब्रिटिशकाल से पूर्व (Pre-British) 282
21.3.2 ब्रिटिश शासन के दौरान (During British Rule).....282
21.3.3 स्वतंत्रता के पश्चात् (Post Independence) 283
21.4 संवैधानिकीकरण प्रक्रिया (Constitutionalization Process)..... 285
21.5 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (73rd Amendment Act, 1992) 286
21.5.1 प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features).....286
21.5.2 अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान (Compulsory and Voluntary Provisions) 288
21.5.3 अनिवार्य प्रावधान (Compulsory Provisions).....289
21.6 पंचायत (अनूसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 (पेसा एक्ट) Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 [PESA Act] 289
21.7 स्थानीय स्वशासन से संबंधित मुद्दे (Issues related with Local Self Government) 290
21.8 विकास संबंधी प्रभाव (Developmental Impacts) 291

अध्याय 22

शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies).....293
22.1 भूमिका (Introduction)..... 293
22.2 ब्रिटिश शासन के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का विकास (Evolution of Urban Local Bodies during British Rule) 293
22.3 संवैधानिक दर्जे की आवश्यकता (Need for Constitutional Status) 294
22.4 संवैधानिक दर्जे की ओर कदम (Steps towards Constitutional Status)..... 295
22.5 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (74th Constitution Amendment Act] 1992) 295
22.6 शहरी शासनों के प्रकार (Types of Urban Governments)..... 299
22.6.1 नगर निगम (Municipal Corporation).....299
22.6.2 नगरपालिका (Municipality).....299
22.6.3 अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee).....300
22.6.4 नगर क्षेत्र समिति (Town Area Committee) 300
22.6.5 छावनी बोर्ड (Cantonment Board).....300
22.6.6 शहरी क्षेत्र/टाउनशिप (Township) 301
22.6.7 पत्तन/बंदरगाह न्यास (Port Trust).....301
22.6.8 विशेष प्रयोजन एजेंसी (Special Purpose Agency) 301
22.7 नगरपालिका कार्मिक (Municipal Personnel)..... 302
22.8 स्थानीय शासन की केंद्रीय परिषद् (Central Council of Local Government)..... 302
22.9 शहरी राजस्व (Municipal Revenue)..... 302
22.10 शहरी स्थानीय निकाय: आलोचनात्मक विश्लेषण (ULBs: A Critical Analysis) 303
22.10.1 शहरी स्थानीय निकाय संबंधी समस्याएँ (Problems related with ULBs) 303
22.11 स्थानीय स्तर पर अभिशासन की प्रभावशीलता (Effectiveness of Governance at Local Level) 306

अध्याय 23

सहकारी समितियाँ (The Co-operative Societies) 308
23.1 परिचय (Introduction) 308
23.2 संवैधानिक उपबंध (Constitutional Provisions)..... 309
23.3 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 के अधिनियमन का कारण (Reasons for 97th Constitutional Amendment Act, 2011) 309
23.4 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 की विशेषताएँ (Features of 97th Constitutional Amendment Act, 2011)..... 310
23.5 सहकारिता मंत्रालय (Ministry of Co-operation) 311
23.6 सहकारी समितियों से जुड़े मुद्दे (Issues related with Cooperative Societies) 311

इकाई – IV: न्यायपालिका

अध्याय 24

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) 314
24.1 भूमिका (Introduction)..... 314
24.2 भारत में न्यायपालिका का संगठन (Organization of Judiciary in India) 314
24.2.1 एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary).....314
24.2.2 न्यायालयों का पदानुक्रम (Hierarchy of Courts).....315

24.3 उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) 315
24.3.1 संगठन (Organization) 315
24.3.2 न्यायाधीश (Judges) 315
24.4 सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता (Independence of Supreme Court) 318
24.5 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायक्षेत्र एवं शक्तियाँ (Jurisdiction and Powers of Supreme Court) 319
24.5.1 सर्वोच्च न्यायालय का न्यायक्षेत्र (Jurisdiction of Supreme Court) 319
24.5.2 सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ (Powers of Supreme Court) 321
24.6 सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय अपील न्यायालय के रूप में (Supreme Court as National Court of Appeal-NCA) 322
24.6.1 पृष्ठभूमि (Background) 322
24.6.2 एन.सी.ए. की आवश्यकता (Need for NCA) 322
24.6.3 एन.सी.ए. की आलोचना (Criticism of NCA) 323
24.6.4 न्यायालय की प्रक्रिया (Procedure of Court) 323
24.7 सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता (Supreme Court Advocates) 323
24.7.1 वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocates) 323
24.7.2 एडवोकेट-ऑन रिकॉर्ड्स (Advocates-on Records) 324
24.7.3 अन्य अधिवक्ता (Other Advocates) 324
24.8 संविधान को मजबूती प्रदान करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका (Role of Supreme Court in Strengthening the Constitution) 324
24.8.1 बुनियादी ढाँचे का सिद्धांत (Doctrine of Basic Structure) 324
24.8.2 अनुच्छेद 21 का विस्तार (Expansion of Article 21) 325
24.8.3 जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) 326
24.9 न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) 326
24.9.1 न्यायिक समीक्षा का अर्थ (Meaning of Judicial Review) 326
24.9.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions) 326
24.9.3 न्यायिक समीक्षा का दायरा (Scope of Judicial Review) 327
24.9.4 न्यायिक समीक्षा पर न्यायपालिका (Judiciary on Judicial Review) 327
24.9.5 राज्य और न्यायिक समीक्षा (State and Judicial Review) 327
24.9.6 न्यायिक समीक्षा: वर्तमान स्थिति (Judicial Review: Current Status) 327
24.9.7 IXवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review of IXth Schedule) 328
24.10 न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) 328
24.10.1 न्यायिक सक्रियता का अर्थ (Meaning of Judicial Activism) 328
24.10.2 न्यायिक सक्रियता के पीछे तर्क (Rationale Behind Judicial Activism) 329
24.10.3 न्यायिक सक्रियता के बारे में आशंकाएँ (Apprehensions About Judicial Activism) 330
24.11 न्यायिक संयम (Judicial Restraints) 330
24.11.1 न्यायिक संयम का अर्थ (Meaning of Judicial Restraints) 330
24.11.2 न्यायिक संयम की मान्यताएँ (Assumptions of Judicial Restraints) 331
24.11.3 न्यायिक संयम पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court on Judicial Restraint) 331
24.11.4 न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम: एक तुलना (Judicial Activism and Judicial Restraint: A Comparison) 332
24.12 न्यायिक अतिरेक (Judicial Overreach) 332
24.12.1 न्यायिक अतिरेक का प्रभाव (Impact of Judicial Overreach) 332
24.12.2 न्यायिक अतिरेक के साथ बुनियादी समस्या (Basic Problem with Judicial Overreach) 333
24.13 न्यायिक निष्क्रियता/ उदासीनता (Judicial Underreach) 333
24.14 जनहित याचिका (Public Interest Litigation PIL) 334
24.14.1 पीआईएल का अर्थ (Meaning of PIL) 334
24.14.2 पीआईएल की विशेषताएँ (Features of PIL) 334
24.14.3 जनहित याचिका का दायरा (Scope of PIL) 335
24.14.4 पीआईएल के सिद्धांत (Principles behind PIL) 335
24.14.5 पीआईएल: एक समालोचनात्मक विश्लेषण (PIL: A Critical Analysis) 336

अध्याय 25

उच्च न्यायालय (High Court) 341
25.1 परिचय (Introduction) 341
25.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 341
25.3 संरचना (Composition) 343

25.4 न्यायाधीश/न्यायमूर्ति (Judges)..... 343
25.4.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges) 343
25.4.2 योग्यताएँ (Qualifications) 345
25.4.3 शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)...345
25.4.4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल (Tenure of Judges of High Court) 345
25.5 न्यायाधीशों को हटाना (Removal of Judges) 345
25.6 वेतन एवं भत्ते (Salaries and Allowances) 346
25.7 न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer of Judges) 346
25.8 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice)..... 346
25.9 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीश (Additional and Acting Judges) 346
25.10 सेवानिवृत्त न्यायाधीश (Retired Judges) 347
25.11 न्यायपालिका की स्वतंत्रता (Independence of Judiciary) 347
25.11.1 स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता (Need for an Independent Judiciary).347
25.11.2 उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता (Independence of High Courts) 347
25.12 न्यायक्षेत्र और शक्तियाँ (Jurisdiction and Powers)..... 348
25.12.1 मूल न्यायक्षेत्र (Original Jurisdiction) 349
25.12.2 रिट न्यायक्षेत्र (Writ Jurisdiction) 349
25.12.3 अपीलीय न्यायक्षेत्र (Appellate Jurisdiction).....350
25.12.4 पर्यवेक्षी न्यायक्षेत्र (Supervisory Jurisdiction) 350
25.12.5 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Control over Subordinate Courts).....351
25.12.6 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर न्यायक्षेत्र (Jurisdiction over Administrative Tribunals).....351
25.12.7 अभिलेख न्यायालय (A Court of Record)..352
25.12.8 न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of Judicial Review).....353
25.13 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय: एक तुलना (Supreme Court and High Court: A Comparison) .. 353

अध्याय 26

अधीनस्थ न्यायालय (Sub-Ordinate Court).....354
26.1 परिचय (Introduction)..... 354
26.2 संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provisions)..... 354
26.2.1 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of District Judges).....354
26.2.2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Other Judges) 354
26.2.3 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (Control Over Subordinate Courts) 354
26.3 संरचना और न्यायक्षेत्र (Structure and Jurisdiction) 355
26.4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Service Authority)..... 355
26.5 लोक अदालत (Lok Adalat) 356
26.5.1 लोक अदालत की संरचना (Composition of Lok Adalat).....356
26.5.2 वैधानिक स्थिति (Statutory Status).....356
26.5.3 लोक अदालत के लाभ (Benefits of Lok Adalat).....356
26.5.4 स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) 356
26.5.5 आलोचनात्मक विश्लेषण (Critical Analysis).....357
26.6 परिवार न्यायालय (Family Court) 357
26.6.1 स्थापना का कारण (Reason for Establishment).....357
26.6.2 विशेषताएँ (Features).....357
26.6.3 परिवार न्यायालय की कार्यप्रणाली (Working of Family Court) 358
26.7 फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast-Track Court) 358
26.7.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges) 359
26.7.2 विशेषताएँ (Features).....359
26.7.3 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की कार्यप्रणाली: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Working of Fast Track Courts: A Critical Analysis).....359
26.8 ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalayas) 359
26.8.1 विशेषताएँ (Features).....360
26.8.2 ग्राम न्यायालयों की कार्यप्रणाली: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Working of Gram Nyayalayas: A Critical Analysis).....360
26.9 न्यायाधिकरण या अधिकरण (Tribunals) 361
26.9.1 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal – CAT).....361
26.9.2 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (State Administrative Tribunals) 362
26.9.3 अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण- अनुच्छेद 323 (B) [Tribunals for Other Matters – Art 323(B)].....362
26.9.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (Supreme Court Judgement on Administrative Tribunals).....362

26.9.5 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली: एक आलोचनात्मक विश्लेषण (Working of Administrative Tribunals: A Critical Analysis) 363

26.10 वैकल्पिक विवाद निस्तारण (Alternate Dispute Redressal) 363

26.10.1 मध्यस्थता (Arbitration) 364

26.10.2 मध्यस्थता (Mediation) 364

26.10.3 सुलह (Conciliation) 365

26.10.4 बातचीत या वार्ता (Negotiation) 365

26.10.5 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act), 1996 के उद्देश्य ..366

अध्याय 27

न्यायपालिका से संबंधित मुद्दें (Issues related with Judiciary) 368

27.1 परिचय (Introduction) 368

27.2 न्यायिक विलंब या देरी (Judicial Delay) 368

27.3 न्यायपालिका में भ्रष्टाचार (Corruption in Judiciary) 372

27.4 न्यायिक जवाबदेही (Judicial Accountability) 374

27.5 न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मुद्दे (Issues related with Judicial Appointments) 374

27.6 विचाराधीन कैदी (Undertrials) 377

27.7 न्यायपालिका और सूचना का अधिकार (आरटीआई) [Judiciary and Right to Information (RTI)] 378

27.8 न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) 379

27.9 न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व (Low Women Representation in Judiciary) 381

27.10 न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age of Judges) 381

27.11 CJI का कार्यकाल निर्धारित करना (Fixing Tenure of CJI) 381

27.12 निराधार अस्वीकृति (Baseless Recusal) 382

इकाई I

भारत का संविधान

1. **भारतीय संविधान का क्रमिक विकास** (Evolution of Indian Constitution) 2
2. **संविधान का निर्माण** (Making of the Constitution) 16
3. **भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ** (Salient Features of Indian Constitution).....25
4. **संविधानों की तुलना** (Comparison of Constitutions) 34
5. **भारतीय संविधान की प्रस्तावना** (Preamble to the Constitution of India) 50
6. **संघ और उसके राज्य क्षेत्र** (Union and its Territory) 58
7. **नागरिकता** (Citizenship) 71
8. **मौलिक अधिकार** (Fundamental Rights).....80
9. **राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व** (Directive Principles of State Policy) 122
10. **मूल कर्त्तव्य** (Fundamental Duties)..... 135
11. **संविधान का संशोधन** (Amendment of the Constitution)..... 147

अध्याय

1

भारतीय संविधान का क्रमिक विकास
(Evolution of Indian Constitution)

1.1 परिचय (Introduction)

"संविधान हमें एक स्ट्रेटजैकेट (Straitjacket) की तरह से कसकर बाँध देने के लिए नहीं बनाया गया था। संविधान के लचीलेपन (Elasticity) में ही इसकी महानता निहित है। सीमित और विभाजित सरकार के सिद्धांत के साथ समस्या यह है कि सरकार कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक सजीव प्रणाली है। यहीं से जीवंत और प्राणयुक्त संविधान का उद्भव होता है। यह अपने परिवेश द्वारा संशोधित किया गया है, जो इसके कार्यों के लिए आवश्यक है तथा जीवन के वास्तविक दबाव से इसके कार्यों को आकार दिया गया है। संविधान बनाने की तुलना में संविधान का क्रियान्वयन कठिन होता जा रहा है।" —**वुडरो विल्सन**

अंग्रेज 1608 ई. में व्यापारी के रूप में भारत आए। समय के साथ उन्होंने भारत पर प्रशासनिक नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत की सीमाओं का सीमांकन किया। समेकन के पश्चात्, उन्होंने ब्रिटिश शासन को मजबूत करने तथा ब्रिटेन में बैठकर दूर से ही भारतीयों पर दृढ़ नियंत्रण रखने के लिए कानूनी चार्टर्स और अधिनियमों की आवश्यकता महसूस की। नरमपंथियों की निरंतर माँग ने भी शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए दबाव डाला। संवैधानिक विकास ने मनमानी को दूर करने तथा भारत में एक व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। किंतु ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास का उद्देश्य भय के द्वारा शासन करना था। हालाँकि, स्वतंत्र भारतीय संविधान में लोगों को अधिकार प्रदान कर तथा प्रशासनिक ढाँचे की स्थापना करके उनके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्वतंत्रता के बाद, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान का निर्माण राजनीतिक क्रांतियों के परिणामस्वरूप नहीं, बल्कि लोक प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के निकाय द्वारा अनुसंधान और विचार-विमर्श के माध्यम से किया गया था।

संविधानवाद (Constitutionalism)

संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है, जहाँ संविधान सर्वोच्च है और संस्थाओं की संरचना व प्रक्रियाएँ संवैधानिक सिद्धांत के द्वारा शासित होती हैं। यह एक खाका/ढाँचा प्रदान करता है, जिसके तहत राज्य को अपना परिचालन करना होता है। यह सरकार पर सीमाएँ भी आरोपित करता है।

1.1.1 अरस्तू के द्वारा संविधानों का वर्गीकरण (Aristotle's Classification of Constitutions)

अरस्तू के लिए "संविधान" शब्द का अर्थ आज की तुलना में भिन्न था। अरस्तू ने जिस संविधान की कल्पना की थी, वह आधुनिक राष्ट्र-राज्यों (Nation-States) द्वारा निर्मित एकल, संगठित दस्तावेज (Single, Organized Document) नहीं था। अरस्तू ने लिखा है कि "संविधान नागरिक-निकाय के जीवन का तरीका है।'' अरस्तू के अनुसार, नागरिक "वे सभी थे, जो शासन के नागरिक जीवन में हिस्सा लेते हैं और बारी-बारी से शासित भी होते हैं।"

अरस्तू ने छह अलग-अलग प्रकार के संविधानों की पहचान की और उन्हें **"उचित"** या **"अनुचित"** के रूप में वर्गीकृत किया। अरस्तू के अनुसार, **"उचित"** संविधान सभी नागरिकों के सामान्य हितों की पूर्ति करता है। **"अनुचित"** संविधान केवल एक निश्चित व्यक्ति या समूह के स्वार्थ हितों की पूर्ति करता है। नीचे दिये गए चार्ट में, "गलत" संविधानों को सही संविधानों के भ्रष्ट रूपों के रूप में दिखाया गया है।

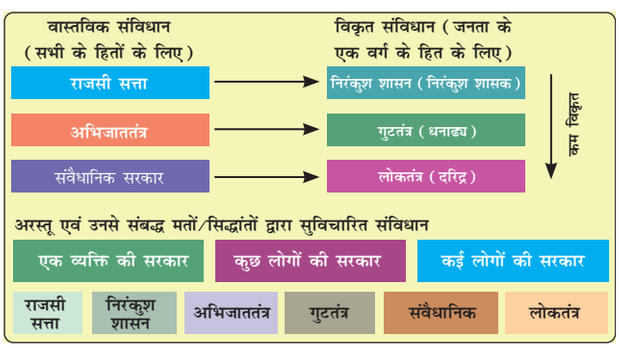

1.1.2 संविधान का महत्त्व (Significance of the Constitution)

संविधान देश का मौलिक कानून है, जो शासन के लिए विधिक् स्वीकृति प्रदान करता है। यह न केवल संस्थागत दक्षता, बल्कि नागरिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:

1. संविधान संस्थाओं की भूमिकाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके उन्हें स्वतंत्रता और अन्योन्याश्रितता/परस्पर निर्भरता (Interdependence) प्रदान करता है।

2. संविधान देश के लोगों/नागरिकों को समाज की मौलिक प्रकृति/स्वरूप (Fundamental Nature) के बारे में बताता है।
3. संविधान किसी देश की सामूहिक इच्छा (Collective Will) और अंतश्चेतना / अंत:करण (Conscience) का प्रतिनिधित्व करता है।
4. संविधान सिर्फ राजनीतिक-विधिक् दस्तावेज नहीं है, बल्कि नागरिकों के लिए एक सामाजिक-आर्थिक दस्तावेज भी है।
5. संविधान राष्ट्र निर्माण की विराट दृष्टि को दर्शाता है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार "केवल कानून ही अधिकारों का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक चेतना है, जो अधिकारों का निर्धारण करती है।" संविधान समाज में इस सामाजिक और नैतिक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है, जो बदलती मूल्य प्रणालियों और नैतिक नींव के साथ विकसित होता रहता है। उदाहरण के लिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने अपना संविधान लिखा, तो केवल श्वेत अमेरिकी पुरुषों के अधिकारों को मान्यता दी गई, जबकि महिलाओं और अश्वेतों को समान अधिकारों से वंचित रखा गया। जैसे-जैसे समाज ने प्रगति की और समय के साथ विकास हुआ, भारत जैसे आधुनिक संविधानों ने भी स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के लागू होने के साथ ही सभी को समान अधिकार प्रदान किए।

अधिकांश संविधान, राज्य (प्रांत नहीं) के संस्थानों के बीच संबंधों को विनियमित करने की माँग करते हैं, जिसमें मूल रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध और उन शाखाओं के भीतर संस्थानों के विस्तृत संबंधों को विनियमित करना शामिल है। इस प्रकार यह एक राज्यक्षेत्र का सबसे बुनियादी या मूलभूत कानून है, जिससे अन्य सभी कानून और नियम पदानुक्रमित रूप से व्युत्पन्न होते हैं।

1.2 संविधानों का वर्गीकरण (Classification of Constitutions)

1.2.1 संहिताबद्ध संविधान (Codified Constitution)

विश्व के अधिकांश राज्यों (प्रांत नहीं) ने अपने संविधानों को संहिताबद्ध किया है। सामान्यत: संहिताबद्ध संविधान एक प्रमुख ऐतिहासिक बदलाव के बाद निर्मित होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, क्रांति, युद्ध, या सरकार की पिछली व्यवस्था का पूर्ण पतन। कोई देश किस प्रक्रिया से संविधान को अपनाता है, वह इस बुनियादी परिवर्तन का कारण बनने वाले ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रसंग से निकटता से जुड़ा होता है।

1.2.2 असंहिताबद्ध संविधान (Uncodified Constitution)

असंहिताबद्ध संविधान सदियों से चली आ रही परंपराओं और कानूनों के "उद्विकास" का उत्पाद होता है। असंहिताबद्ध संविधान के कुछ लिखित स्रोत भी हो सकते हैं, जैसे- संसद द्वारा अधिनियमित संवैधानिक कानून, रॉयल चार्टर, मैग्ना-कार्टा आदि। इसके अलिखित स्रोतों में संवैधानिक परंपराएँ, पूर्व उदाहरणों का अवलोकन, शाही विशेषाधिकार, प्रथाएँ और परम्पराएँ शामिल हो सकती हैं, जैसे कि हमेशा गुरुवार को ही आम चुनाव कराना आदि। ये सब मिलकर ब्रिटिश संवैधानिक कानून का निर्माण करते हैं।

प्रकार (Type)	स्वरूप (Form)	उदाहरण (Example)
संहिताबद्ध	एकल अधिनियम (दस्तावेज)	संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत
असंहिताबद्ध	पूरी तरह से लिखित (कुछ दस्तावेजों में)	इजराइल, सऊदी अरब
	आंशिक रूप से अलिखित	न्यूजीलैंड, ब्रिटेन

1.3 ब्रिटिश काल के दौरान संवैधानिक विकास (Constitutional Development during British Era)

ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आए थे। उन्हें भारत में व्यापार करने का विशेषाधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिये गए चार्टर के तहत प्राप्त हुआ था। 1765 में, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 'दीवानी' अधिकार (अर्थात्, राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार) प्राप्त कर लिए। इस तरह के अधिकार प्राप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक शक्तिशाली हो गई।

1858 में, "सिपाही विद्रोह" के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश क्राउन/ताज ने भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त, 1947 को भारत के स्वतंत्र होने तक जारी रहा। वर्ष 1947 से पहले तक अंग्रेजों द्वारा बनाये गए शासन कानूनों की व्यवस्था (System of Governing Laws) भारत के वास्तविक संविधान के रूप में कार्य करती थी।

हालाँकि, वर्तमान भारतीय संविधान 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रख्यापित (Promulgated) किया गया था, किंतु भारतीय संविधान और राजव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में बनाये गए कानूनों और शासन संरचना में निहित हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान लाये गए विभिन्न अधिनियमों को कालक्रमानुसार (Chronologically) नीचे समझाया गया है।

अध्याय
2

संविधान का निर्माण
(Making of the Constitution)

2.1 परिचय (Introduction)

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एवं संप्रभुतापूर्ण संपन्न देश है। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का सौभाग्य प्राप्त है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 448 अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी भारत के इतिहास में विशेष महत्त्व रखती है। भारत में संविधान सभा (Constituent Assembly) के गठन की माँग सर्वप्रथम वर्ष 1934 में साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी भारतीय नेता एम.एन. रॉय द्वारा रखी गई थी। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की माँग की। हालाँकि, ब्रिटिश सरकार ने 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस माँग को स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने मसौदा प्रस्ताव (Draft Proposal) के साथ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, लेकिन इस मसौदा प्रस्ताव को मुस्लिम लीग से समर्थन नहीं मिल सका।

अंतत:, कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव सही मायनों में ऐतिहासिक भी था क्योंकि इस प्रस्ताव से पहली बार मुस्लिम लीग भी काफी हद तक संतुष्ट थी। संविधान सभा द्वारा नवंबर, 1946 से नवंबर, 1949 तक लोकतांत्रिक भारत के इस सर्वोच्च कानून का प्रारूप तैयार किया गया था और अंतत: 26 नवंबर, 1949 को इसे अपनाया गया था। नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद और परिवर्तनशील नियम से जुड़े प्रावधान 26 नवंबर को ही स्वत: लागू हो गए, लेकिन संविधान का बड़ा हिस्सा 26 जनवरी, 1950 को प्रभावी हुआ। अत: इसी दिन को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के ऐतिहासिक कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए लगभग दो वर्ष, ग्यारह महीने और सत्रह दिन का समय लिया। इस समयावधि में सभा ने 165 दिनों में कुल 11 बैठकें कीं, जिसमें से 114 दिन सिर्फ संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने में लगे।

2.2 भारतीय संविधान का क्रमिक विकास (Evolution of The Indian Constitution)

भारत की लोकतंत्रिक संस्थाओं और अधिकारों का विकास, संविधान सभा के निर्माण से काफी समय पहले शुरू हो चुका था। यद्यपि औपनिवेशिक काल में स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों का उद्देश्य तत्कालीन औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था, जबकि भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के प्रावधानों का उद्देश्य भिन्न था।

हालाँकि, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर, 1946 से 26 नवंबर, 1949 तक किये गए विचार-विमर्श का परिणाम था, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएँ वर्ष 1858 से लेकर 1935 तक पारित अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुईं।

वर्ष 1946 में संविधान सभा के गठन से पूर्व संविधान के मसौदे को तैयार करने में कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम, जो मील के पत्थर साबित हुए, निम्नलिखित हैं:

1. **नेहरू रिपोर्ट, 1928 (संविधान-प्रारूप के लिए प्रथम भारतीय पहल):**

   भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान तैयार करने का प्रथम प्रयास नेहरू रिपोर्ट (1928) के माध्यम से किया गया था। इससे पूर्व वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा स्वराज (स्वायत्तता) की माँग के जरिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए शुरुआती प्रयास किये गए थे। नेहरू रिपोर्ट का नाम, इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था।

   सर्वदलीय सम्मलेन में प्रारूप समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस सर्वदलीय सम्मलेन में प्रमुख दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज दल और मुस्लिम लीग थे।

   नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

   - भारत को एक डोमेनियन स्टेट (अधिराज्य) का दर्जा दिया जाए।
   - भारत में संघीय प्रणाली की स्थापना की जाए तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के अधीन हों।

अध्याय 3

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Indian Constitution)

3.1 परिचय (Introduction)

भारत का संविधान विश्व के अन्य देशों के संविधानों से अलग और अद्वितीय है, जिसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएँ हैं। भारत के संविधान ने दुनिया के अन्य संविधानों से कई विशेषताएँ उधार ली हैं और इन्हें भारतीय संदर्भ में समायोजित किया है। यह एक जीवंत दस्तावेज (Living Document) है, जो देश की विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं को संबोधित (Address) करता है।

यहाँ ध्यान देने योग्य है कि संविधान की कई मूल विशेषताओं में (1949 में अधिनियमित मूलरूप में) कुछ संशोधनों, विशेषकर 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधनों के कारण काफी बदलाव आया है। वास्तव में, 42वें संशोधन अधिनियम (1976) को 'लघु-संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान के विभिन्न भागों में कई महत्त्वपूर्ण और बड़े परिवर्तन किए थे। हालाँकि, केशवानंद भारती मामले (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन शक्ति इसे संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है।

भारत के संविधान के विभिन्न भाग (Various Parts of Constitution of India)

भाग (Parts)	विषय (Subject)	अनुच्छेद (Articles)
I	संघ और उसके राज्य क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व	36 से 51
IV (A)	मौलिक कर्त्तव्य	51 (A)
V	संघ सरकार	52 से 151
VI	राज्य सरकार	152 से 237
VII	7वें संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा हटाया गया	238 निरस्त
VIII	केंद्र-शासित प्रदेश	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243 (O)
IX (A)	नगरपालिका	243 (P) से 243 (Z)(G)
IX (B)	सहकारी समितियाँ	243 (Z)(H) से 243 (Z)(T)
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244 (A)
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद	264 से 300 (A)
XIII	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
XIV (A)	अधिकरण	323 (A) से 323 (B)
XV	निर्वाचन	324 से 329 (A)
XVI	कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
XVIII	आपात उपबंध/ प्रावधान	352 से 360
XIX	विविध/ प्रकीर्ण	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान	369 से 392
XXII	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक/प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395 तक

3.2 एकल नागरिकता (Single Citizenship)

भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। राष्ट्र में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए एकल

अध्याय

4

संविधानों की तुलना

(Comparison of Constitutions)

4.1 परिचय (Introduction)

एक संविधान के होने का आशय, कानून का शासन स्थापित करने, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, शक्ति का पृथक्करण सुनिश्चित करने इत्यादि से है। विभिन्न राष्ट्रों के अलग-अलग संविधान हैं और अद्वितीय शासन-तंत्र हैं। संविधान की तुलना राष्ट्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में विचार देती है, जो राष्ट्रों के लक्ष्यों को समझने में मदद करती है। विभिन्न संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से समय के साथ संविधान को विकसित करने में सहायता मिलती है।

4.2 अन्य संविधानों की मुख्य विशेषताएँ

4.2.1 संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)

अमेरिकी संविधान अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और साथ ही सरकार की सीमा निर्धारित करने के लिए कानून की एक प्रणाली है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 4 मार्च, 1789 को अपनाये गए अमेरिकी संविधान में कुल 33 संशोधन हुए हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

1. **लिखित संविधान (Written Constitution):** विश्व के अन्य संघीय संविधानों की भाँति अमेरिकी संविधान भी लिखित रूप में है। यह एक संक्षिप्त दस्तावेज है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद और 33 संविधान संशोधन शामिल हैं। भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लंबा होने के साथ-साथ विस्तृत भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक मूल संरचनात्मक संविधान है, क्योंकि इसके संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस के अधिनियमों द्वारा संविधान को विस्तृत रूप देने के लिए विवरणों को छोड़ रखा था। शासन करने के विस्तृत पक्षों का अभिसमयों/रूढ़ि (Conventions), रीति-रिवाजों, न्यायिक-निर्णयों और विधायी उपायों की मदद से समाधान किया जाता है।
2. **संघीय संरचना (Federal Structure):** अमेरिकी संविधान प्रकृति में संघीय है। अमेरिका पहले मूलतः 13 राज्यों का एक संघ था, लेकिन नए राज्यों के प्रवेश के कारण अब यह 50 राज्यों का एक संघ है। केंद्र तथा संघीय राज्यों के बीच शक्तियों का बँटवारा संविधान में ही किया गया है। संविधान में केंद्र की शक्तियों को वर्णित किया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय राज्यों में निहित हैं। इन अवशिष्ट शक्तियों के राज्यों में निहित होने के कारण ही संविधान कमजोर केंद्र का निर्माण करता है। हालाँकि, व्यावहारिक तौर पर यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत" (Doctrine of Implied Powers) के कारण अमेरिका में कांग्रेस बहुत शक्तिशाली हो गई है।

   अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांत (Doctrine of Implied Powers) का अर्थ यह है कि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई शक्तियों का प्रयोग कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा।
3. **कठोर संविधान (Rigid Constitution):** अमेरिकी संविधान दुनिया के सबसे कठोर संविधानों में से एक है। इसके तहत, प्रत्येक संशोधन को दो अलग-अलग तरीकों से पेश किया जा सकता है तथा इस संशोधन को 3/4 राज्यों द्वारा अनुमोदित (Ratified) किया जाना अनिवार्य होता है। संविधान की कठोरता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि 200 से अधिक वर्षों की समयावधि के बावजूद संविधान में केवल 33 संशोधन ही किये गए हैं।
4. **राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential System):** संविधान यूएसए में शासन की राष्ट्रपति शासन प्रणाली (Presidential form) का उपबंध करता है। राष्ट्रपति वास्तविक (De Facto) और नाममात्र/विधिक् (De Jure) का राज्य का प्रमुख होता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का कठोर पृथक्करण होता है। महाभियोग की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। राष्ट्रपति चार वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही चुना जा सकता है।
5. **संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution):** संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ संविधान के सर्वोच्च कानून के रूप में मान्यता होने से है। इसे न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारें अपनी इच्छा से बदल सकती हैं। संविधान की भावना के विरुद्ध किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया जा सकता है।
6. **शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers):** अमेरिकी संविधान 'शक्तियों के पृथक्करण' (Separation of Powers) के सिद्धांत पर आधारित है। कांग्रेस विधायी अंग है। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, जो सीधे लोगों